

**न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर**  
(निर्णय बर्डजलास श्री सत्तार खान, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :-32/2014/टॉक (2014/00037)

राम प्रसाद पुत्र नारायण मुतबन्ना पुत्र श्योराम माली निवासी डुंगरी हाल डिग्गी नुक्कड,  
तहसील मालपुरा, जिला टॉक

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती पुष्पा देवी पुत्री श्योराम माली पत्नी सीताराम माली, निवासी डुंगरी हाल निवासी निवाई, जिला टॉक
2. ग्राम पंचायत सोडा जरिए सरपंच, ग्राम पंचायत सोडा, तहसील मालपुरा जिला टॉक
3. ग्राम पंचायत सोडा जरिए सचिव, ग्राम पंचायत सोडा, तहसील मालपुरा जिला टॉक
4. राजस्थान राज्य सरकार जरिए तहसीलदार, मालपुरा जिला टॉक

रेस्पोंडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरुद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा जिला टॉक दिनांक 12.03.2014 अंतर्गत अपील संख्या 05/2012.

उपस्थित:-


1. श्री मनीष व्यास, वकील अपीलांट उपस्थित।
2. श्री गिरीश पारीक रेस्पोंडेंट्स 01 उपस्थित एवं 2,3 अनुपस्थित।
3. राजकीय अभिभाषक उपस्थित।

निर्णय

दिनांक :- 26.11.2019

अपीलांट ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा जिला टॉक (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.03.2014 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

- 1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा के न्यायालय में प्रथम अपील विरुद्ध

  
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त  
अजमेर

नामांतरकरण संख्या 164 दिनांक 05.04.2012 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा ने निर्णय दिनांक 12.03.2014 को निर्णय पारित कर अपीलांत की अपील खारिज करने के आदेश पारित किये । अधीन न्यायालय के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांतस ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । xx

- 2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पों को नोटिस जारी किये गये। अधीन न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई । xx
- 3- अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत, सोडा का आदेश दिनांक 05.04.2012 तथा उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा का निर्णय दिनांक 12.03.2014 न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। xx
- 4- ग्राम पंचायत, सोडा ने गौर नहीं किया कि राम प्रसाद ने एक नियमित वाद घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है और उपखण्ड अधिकारी ने दिनांक 05.10.2011 को दोनों पक्षों को सुनकर मौका व रिकार्ड की यथासिति बनाए रखने का आदेश पारित किया है तथा जिसके विरुद्ध पुष्पा देवी की अपील में आराजी जैर बहस रहन, बय, मुन्तकिल नहीं करने हेतु पावन्द कर रखा है। तात्पर्य यह है कि जिस दिन ग्राम पंचायत, सोडा ने विरासत का नामान्तरकरण पुष्पा देवी के नाम तस्दीक किया उस दिन उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा एवं राजस्व अपील अधिकारी, टोंक से विवादित आराजीयात बाबत रिकार्ड व मौके की यथास्थिति एवं आराजी जैर बहस रहन, बय, मुन्तकिल नहीं करने हेतु आदेश पारित किये हुये थे। इसके बावजूद इस तथ्य को छुपा कर नामान्तरकरण तस्दीक करने का आदेश अवैध एवं प्रभाव शून्य है। xx
- 5- अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस यह भी निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा के न्यायालय में अपीलार्थी का नियमित वाद विचाराधीन था तथा भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, टोंक ने दिनांक 06.06.2013 को उपखण्ड अधिकारी को निर्देश दिया कि उनके यह लंबित वाद को शीघ्रताशीघ्र सुनवाई कर विधि सम्मत निस्तारण की कार्यवाही करें । उन्होनें उक्त निर्देश को नजर अन्दाज कर यह विवादित निर्णय करने में न्यायिक त्रुटि की है। जब विवादित आराजीयात बाबत उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा में नियमित वाद विचाराधीन है तो ऐसी फिस्कल कार्यवाही स्वतः स्थगित होती है तथा वाद के निस्तारण के बाद ही नामान्तरकरण की कार्यवाही अमल में लाई जाती है। उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा ने गौर नहीं किया कि उनके न्यायालय में उक्त नामान्तरकरण का विचाराधीन नियमित वाद घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का श्योराम पुत्र पाचूराम की विरासत का निर्णय होना है किन्तु इससे पूर्व ग्राम पंचायत, सोडा ने विरासत का इन्तकाल रेस्पों सं० 1 पुष्पा देवी के नाम तस्दीक कर विधिविरुद्ध कार्यवाही की है। अतः अपील स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा के निर्णय दिनांक 12.03.2014 तथा ग्राम पंचायत,



17/10/14  
विचारित सभागीय आयुक्त  
अजमेर

सोडा के आदेश दिनांक 05.04.2012 नामान्तरकरण संख्या 164 न्यायहित में निरस्त करने के आदेश करने की कृपा करावें। xx

- 6- अभिभाषक अपीलांत की उक्त बहस के क्रम में रेस्पोंडेंट 1 के विद्वान अभिभाषक ने निवेदन किया कि विवादित भूमि श्योराम के नाम खातेदारी में दर्ज चली आ रही थी एवं श्योराम के देहांत दिनांक 10.03.2011 को होने के पश्चात एक प्रार्थना पत्र अपीलांत पुष्पा देवी द्वारा ग्राम पंचायत सोडा के समक्ष प्रस्तुत कर मृतक श्योराम की एक मात्र वारिस होने के कारण नामान्तरकरण अपीलांत पुष्पा देवी के नाम तस्दीक किया जावें। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 05.04.2012 को नामान्तरकरण संख्या 164 विरासतन तस्दीक किया गया था, जिसमें कोई कानूनी त्रुटि नहीं की थी। उक्त आराजीयात के संबंध में उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा के न्यायालय में अपीलांत द्वारा एक वाद उनवानी राम प्रसाद बनाम पुष्पा देवी बाबत घोषणा खातेदारी, स्थाई निषेधाज्ञा का नियमित वाद चल रहा है उसके बावजूद अपीलांत ने नामान्तरकरण संख्या 164 दिनांक 05.04.2012 की अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा में पेश की जबकि उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा के न्यायालय में अपीलांत द्वारा नियमित वाद रामप्रसाद द्वारा मृतक श्योराम का अपने आपको दत्तक पुत्र मानते हुए व अपंजीकृत वसीयत के आधार पर पेश किया हुआ है, जिसके बाबत उभयपक्ष की साक्ष्य के उपरांत ही निर्णय होना है। एक ही आराजी के संबंध में दो समानान्तर प्रकरण चल नहीं सकते। हकों का निर्धारण का निर्धारण नियमित वाद में ही संभव है। नामान्तरकरण अपील तो मात्र FISCAL PROCEEDING है। अतः अपीलांत की अपील खारिज फरमाई जावें। xx

- 7- अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस आगे कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा के समक्ष विचाराधीन अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी थी, जिसमें प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट को ना तो प्रस्तुत किया जा सकता है एवं ना ही उक्त प्रकरण में किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश प्रदान किया जा सकता है। जब नियमित वाद राजस्व अपील अधिकारी, टोंक में विचाराधीन है, जिसमें केवल रहन, दान व बेचान नहीं करने हेतु पाबंद किया गया था। उक्त प्रकरण में पूर्व में उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा द्वारा मौका रिकार्ड की यथास्थिति बनाने के आदेश को स्थगित करते हुए राजस्व अपील अधिकारी, टोंक ने पक्षकारों पाबंद किया था वह प्रकरण के विचाराधीन रहते हुए रहन, दान व बेचान नहीं करें। ग्राम पंचायत सोडा द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक करने में किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं थी परन्तु उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा ने अंतिम पैरा में अपीलांत को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने में भूल की है। अतः अपीलांत की अपील खारिज फरमाई जावें। xx

- 8- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलेखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, सोडा द्वारा श्योराम की एक मात्र प्राकृतिक वारिस बेटी पुष्पा देवी के नाम



*T. Lau*  
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त  
अजमेर


नामान्तरकरण 164 दिनांक 05.04.2012 स्वीकृत किया है। जहां तक अपीलांत रामप्रसाद के दत्तक पुत्र होने अथवा मूल खातेदार मृतक श्योराम द्वारा उसके हक में वसीयत निष्पादित करने का प्रश्न है, उसके लिए रेस्पोंडेंट (राम प्रसाद) ने सक्षम न्यायालय में अधिकारों की घोषणा हेतु नियमित राजस्व वाद प्रस्तुत कर रखा है, जिसका निर्णय होना शेष है एवं निर्णयानुसार हक, अधिकारों का निर्णय हो सकेगा। नामान्तरकरण कार्यवाही तो मात्र FISCAL PROCEEDING है। xx

- 9- अपीलांत ने अपनी बहस में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा (उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा) प्रस्तुत दावे में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट में अपीलाधीन आराजी पर स्थगन आदेश पारित किये जाने के कथन किये हैं। हमारी सुविचार राय में विरासतन नामान्तरकरण हेतु स्थगन आदेशों का कोई प्रभाव नहीं होता है क्योंकि भूमि (विवादित आराजीयात) मृत व्यक्ति के नाम (अवेन्स) में नहीं रह सकती है। ऐसी स्थिति में विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना उचित है। ग्राम पंचायत, सोडा द्वारा प्राकृतिक वारिस एक मात्र बेटी पुष्पा देवी के नाम विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत किया है, जो न्यायोचित प्रतीत होता है, जिसे यथावत् रख अपीलांत अपील अधिनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा) ने खारिज कर कोई त्रुटि कारित नहीं की है। साथ ही अधिनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा) ने अपने निर्णय में पक्षकारों को अन्तरण से पाबन्द कर वादग्रस्त आराजी को सुरक्षित भी रखा है, जो पूर्णतय युक्तियुक्त है इसलिए हम अधिनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा) के निर्णय को निरस्त करना उचित नहीं समझते हैं। xx




**-:क्रियात्मक आदेश:-**

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 32/2014 (2014/00037) बउनवानी राम प्रसाद बनाम पुष्पा देवी व अन्य को खारिज किया जाता है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा जिला टॉक द्वारा अपील संख्या 5/2012 बउनवान राम प्रसाद बनाम पुष्पा देवी में पारित निर्णय दिनांक 12.03.2014 को यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

  
(सत्तार खान)  
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,  
अजमेर

आदेश आज दिनांक 26.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

  
(सत्तार खान)  
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,  
अजमेर

